



सत्सरेत जयते

विश्वविद्यालय अनुदानायोग
University Grants Commission
शिक्षा परिषालय, भारत सरकार
(Ministry of Education, Govt. of India)
बहादुर शाह ज़ाफ़र मार्ग, नई दिल्ली - 110 002
Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phone : 011-23604329, 011-23604325

स्थीरपोस्ट



ज्ञान-विज्ञान विभाग

मई, 2022

भिलिम सं. ४३२/२०१८ (सी.पी.पी.-१/पीयू)

१ MAY 2022

कल्पसंचित,
श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय
कल्याणलोक, जावदा, निम्बाहेड
चितौडगढ़, राजस्थान-३१२६०

विषय: श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय, कल्याणलोक, जावदा, निम्बाहेड, चितौडगढ़, राजस्थान की स्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयानुसार आपके द्वारा भेजे गये पत्र SKVV/008/UGC/2020/27 दिनांक-09.05.2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय कल्याणलोक, जावदा, निम्बाहेड चितौडगढ़ राजस्थान राज्य विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम द्वारा दिनांक 28.03.2018 को स्थापित/अधिसूचित निजी विश्वविद्यालय है और जहाँ आवश्यक हो, विभिन्न वैधानिक निकायों/परिषदों की अनुमति से अपने मैंने कैपस में रेगुलर मोड में अध्ययन कर रहे छात्रों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 धारा 22 के अंतर्गत निर्दिष्ट डिपियां प्रदान करने के लिये अधिकृत है। किन्तु विश्वविद्यालय ये पाद्यक्रम तभी शुरू कर सकता है जब विश्वविद्यालय के पास आयोग तथा संबंधित वैधानिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार अकादमिक तथा भौतिक सुविधायें, पुस्तकालय, प्रयोगशालायें, इत्यादि सुविधाये मौजूद हों, इसके अलावा विश्वविद्यालय ने शिक्षक तथा सहायक कर्मचारी आयोग / संबंधित वैधानिक परिषदों के मानकों के अनुसार नियुक्त कर लिए हों।

श्री कल्लाजी वैदिक विश्वविद्यालय राजस्थान का नाम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2(f) के अनुसार स्थापित विश्वविद्यालयों की सूची में शामिल कर लिया गया है।

भवदीय,

(डॉ. नरेश कुमार शर्मा)
अवर सचिव